रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15, 2008/फाल्गुन 25, 1929
No. 117] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15, 2008/PHALGUNA 25, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2008

सा.का.नि. 182(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादक का (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8 की उप-धारा (2), धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2006 का ऐसी बातों के बारे में के सिवाय अधिक्रमण करते हो जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई है या जिनको करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादक (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 है । ये जिस दिवस से केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करेगी लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण की विनियमन) अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ।

(ख) ''पैकेज'' से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों का पैक करने के लिए प्रयुक्त बाक्स, पाउच, शंक्वाकार, बेलनकार की तरह का अथवा अन्य प्रकार का पैक अभिप्रेत है ।

(ग) ''प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र'' से अभिप्रेत है,

(i) बाक्स की तरह के पैकेजों के लिए बाक्स के दो समान आकार के बड़े बाहरी क्षेत्र जिन्हें विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य अथवा रूढ़िजन्य दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(ii) पाउच की तरह के पैकेजों के लिए पैक का समस्त बाहरी क्षेत्र जिसे विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(iii) शंक्वाकार अथवा बेलनाकार की तरह के पैकेजों के लिए पैक का सम्पूर्ण किनारे वाला क्षेत्र जिसे विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(iv) पैकेज के किसी भी अन्य रूप अथवा प्रकार के लिए पैक का समस्त बाहरी क्षेत्र जिसे विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य अथवा रूढ़िजन्य दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(घ) ''विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी'' से इन नियमों को अनुसूची में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी अभिप्रेत है ।

3. **पैक करने और लेबल लगाने की रीति.**—(1) सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विनिर्माण, पूर्ति आयात या वितरण में प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज में इन नियमों की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सटीक विशेष स्वास्थ्य चेतावनी होगी;

(ख) विशेष स्वास्थ्य चेतावनी पैक के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम चालीस प्रतिशत क्षेत्र को घेरेगी और इसे पैकेज के ऊपरी किनारे के सामान्तर रखा जाएगा और उसी दिशा में होगी जिस दिशा में प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र पर सूचना होती है :

परन्तु शंक्वाकार के पैक के लिए पैक के चौड़े किनारे के रूप में समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि बाक्स और पाउच प्रकार के पैकों के लिए विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी पैक के दोनों ओर वृहद पट्टी पर दिखाई देगी;

(ग) जब पैकेज को सील किया जाता है या खोला जाता है तब विनिर्दिष्ट चेतावनी के कोई भी तत्व अलग नहीं किए जाते हैं, ढके नहीं जाते हैं या छिपाए नहीं जाते हैं;